



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

**शपथ पत्र
(प्राथम-अ)**

हम रियासत चौधरी (अध्यक्ष) एवं फौजान चौधरी (सचिव), कमरा: अध्यक्ष एवं सचिव, ऑल इण्डिया रिहेबिलिटेशन एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, सी0-171, सेक्टर-4, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजिबाबाद-201005 शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि-

1. यह कि हमारी सोसायटी ऑल इण्डिया रिहेबिलिटेशन एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, सी0-171, सेक्टर-4, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजिबाबाद-201005 द्वारा ए0सी0एन0 इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, कारिगपुर पावर हाउस रोड, अलीगढ़ नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2022-23 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसायटी ऑल इण्डिया रिहेबिलिटेशन एण्ड एजुकेशनल सोसायटी, सी0-171, सेक्टर-4, लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजिबाबाद-201005, के नाम ग्राम-छैरत सुवाल, परगना-कौल, अलीगढ़ में सी.डी. नंबर 133 134 135 136 137 138 139 172 89 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी काद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 133 134 135 136 137 138 139 172 89 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक 25/05/2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्ररगत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नबरो के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

Abdul Hamid Khan
NOTARY (Advocate)
Regn No 1198

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।


8. यह कि, इस संस्था में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठयक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठयक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठयक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक जलास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।


सचिव


80 अध्यक्ष



Solemnly Affirmed before me
by Secretary
Identified by me
Contents here of readover interpreted
be admitted as true and correct.

ABDUL HAMID KHAN (Adv.)
NOTARY (R. No. 1198)
Govt. of India